<u>न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म०प्र०</u> प्रकरण क्रमांकः— / 14निफा

//आ दे श// //आज दिनांक 02—09—2014 को पारित किया गया//

- 1— निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 397 जा0फो0 का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है | जिसमें निगरानीकर्ता ने जे0एम0एफ0सी0 गोहद पीठासीन अधिकारी श्री केशविसंह के द्वारा अप0कं0 141/14 में धारा 151 द0प्र0सं0 का आवेदनपत्र निरस्तगी वाबत् आदेश दिनांक 2—8—14 को पारित किया गया है जिससे व्यथित होकर वर्तमान निगरानी पेश की गयी है |
- 2— वर्तमान पुनरीक्षण के संबंध में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा देक्द्रर चोरी के संबंध में जो कि देक्द्रर क्रमांक एम0पी0—06—ए0ए0—9080 वाबत् फिरयादी जगमोहन की रिपोर्ट पर अप0कं0 141/14 दर्ज किया गया है | उक्त प्रकरण की विवेचना के दौरान यह तथ्य आया है कि ग्राम जखोदा थाना बानमोर जिला मुरेना में फार्म देक 45 देक्द्रर जिसका इंजन नम्बर ई 2304800 मेड नं0 8045 एल0एम0एक्स में लगे हुये हैं | इस आधार पर लोहे के प्लाउड तथा उपरोक्त देक्द्रर की जप्ती ग्राम जखोदा से की गयी है | 3— उपरोक्त देक्द्रर को सुपुर्दगी वाबत् आवेदनपत्र आवेदक नाथूराम जो कि उक्त देक्द्रर का स्वामी होना बताते हुये पेश किया गया है | उसकी ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 451 जा0फो0 अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 21—8—14 को निरस्त किया गया है |
- 4— निगरानीकर्ता के द्वारा अपनी निगरानी मुख्य रूप से इस आधार पर पेश की गयी है कि प्रार्थी का द्वेक्टर एम0पी06 ए०ए० 9080 का अपराध से कोई भी संबंध सरोकार नहीं है । न्यायालय के द्वारा मनमाने तौर से आदेश पारित करते हुये आवेदनपत्र निरस्त किया गया है

जिसमें कि न्यायालय ने आवेदनपत्र निरस्त करने में कानूनी भूल की है । पुलिस के द्वारा देक्द्रर का इंजन नम्बर उल्लेख करते हुये केफियत न्यायालय में पेश की गयी है । इस वाबत् स्पष्ट जानकारी भी पुलिस से नहीं मंगायी गयी बल्कि आलोच्य आदेश बिना आधारों के पारित कर दिया गया । ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त करते हुये देक्द्रर सुपुर्दगी में दिये जाने का निवेदन किया गया है ।

- 5— राज्य की ओर से ए०पी०पी० ने अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को उचित होना बताया है ।
- 6— निगरानी के संबंध में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि :— क्या अधीनस्थ विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 21—8—14 बैधता, औचित्ता एवं शुद्धता की दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ?

//निष्कर्ष के आधार//

- 7— पुनरीक्षणकर्ता अभिभाषक ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह बताया है कि आवेदक नाथूराम प्रश्नाधीन द्रेक्टर जिसका कि इंजन नं0 ई 2304800 है जो कि पुलिस के द्वारा जप्ती पत्रक में दर्शाया गया है उसका बैध स्वामी है । उक्त द्रेक्टर मात्र इस आधार पर जप्त किया गया कि चोरी का कोई पिलाउ उसमें लगा हुआ था जबकि उक्त द्रेक्टर का अपराध से कोई संबंध नहीं है । द्रेक्टर थाने पर अधिक दिनों तक खड़ा रहने से खराब हो सकता है जो कि बिल्कुल अभी नया द्रेक्टर है ।
- 8— उपरोकत संबंध में विचार किया गया | केश डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा इंजन कमांक ई 2304800 मॉडल नं0 एफ0टी045 एल0एम0एक्स तथा चेसिस नं0 टी02300497 की जप्ती की गयी है | उक्त संबंध में रिजस्ट्रेशन प्रमाणपत्र जो कि रिजस्ट्रेशन अर्थोटी चम्बल संभाग मुरेना के द्वारा जारी किया गया है | उससे स्पष्ट है कि उक्त इंजन एवं चेसिस नम्बर का द्रेक्ट्रर जिसका रिजस्ट्रेशन क्रमांक एम0पी0—06—ए0ए09080 जिसका कि आवेदक पंजीकृत स्वामी है | द्रेक्ट्रर में लगे हुये पिलाउ अलग किये जा सकते हैं | ऐसी दशा में मात्र पिलाउड के कारण संपूर्ण द्रेक्ट्रर को रोके रखना उचित नहीं होगा | द्रेक्ट्रर अधिक दिनों तक खड़े रहने से खराब हो सकता है |
- 9— अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा मात्र इस आधार पर आवेदनपत्र निरस्त किया गया है कि प्रकरण में जप्ती पत्रक में वाहन के रिजस्ट्रेशन क्रमांक का उल्लेख नहीं है तथा अनुसंधान अभी जारी है । किन्तु रिजस्ट्रेशन अर्थोटी के द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र जो कि सही होना दर्शित होता है उसके अनुसार वाहन का रिजस्ट्रेशन क्रमांक एम0पी0—06—ए0ए0 9080 है । उक्त ट्रेक्टर की अनुसंधान हेतु आवश्यकता होना भी नहीं कहा जा सकता । मात्र उसके पिलाउड जो कि चोरी की विषय वस्तु होना बतायी जा रही है उससे अलग किया जा

सकता है।

10— उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ विचारण न्यायालय का उनके द्वारा पारित आदेश प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों में तथा इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित अम्बा भाई देशाई बनाम स्टेट में दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आदेश वैधानिक होना नहीं कहा जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21—8—14 अपास्त किया जाता है । 11— आवेदक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त द्वेक्टर के संबंध में मूल कागजात रिजस्टेशन जो कि दिनांक 3—9—14 के उपरांत का भी हो तथा बीमा से संबंधित कागजात पेश करने पर उनके अवलोकन पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय आवेदक की ओर से पांच लाख रूपये का सुपुर्दगीनामा एवं एक लाख रूपये का जमानतनामा विधि अनुसार सभी शर्तों को अधिरोपित करते हुये द्वेक्टर सुपुर्दगीनामें पर प्रदान किया जाये । यह स्पष्ट किया जाता है कि द्वेक्टर सुपुर्दगीनामें पर दियो जाने के पूर्व उसमें लगे हुये पिलाउ अलग कर मात्र द्वेक्टर ही सुपुर्दगी नामें पर दिया जाये ।

12— आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया । मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड (डी०सी0थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड